चित्रकूट-पुलिस

(1). 02 अन्तर्जनपदीय मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार

चोरी की 02 मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा कारतूस व नकदी बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन मे थाना राजापुर पुलिस टीम ने 02 अन्तर्जनपदीय 02 चोरों को चोरी की 02 मोटरसाइकिल, 01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद कारतूस 315 बोर तथा 1900/- नगदी के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1.रंजीत कुमार उर्फ नरबद लोधी पुत्र हीरालाल निवासी टेवा थाना मंझनपुर जिला कौशाम्बी

2.नसीम पुत्र स्व0 बफाती ढफाली निवासी भरसवा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी

अभियुक्तों का अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त रंजीत कुमार उर्फ नरबद लोधी उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 138/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी

2.मु00सं0 262/24 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी

3.मु0अ0सं0 75/24 धारा 379,411 थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

4.मु0अ0सं0 179/2024 धारा 35 बीएनएसएस व 317(2), 318(4), 329, 336(3), 340(2) बीएनएस व धारा 3/25 A Act थाना राजापुर

अभियुक्त .नसीम उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1.मु00सं0 262/24 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी

2.मु0अ0सं0 75/24 धारा 379,411 थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

3.मु0अ0सं0 179/2024 धारा 35 बीएनएसएस व 317(2),318(4),329,336(3),340(2) बीएनएस व धारा 3/25 A Act थाना राजापुर

बरामदगी-

(1) मोटरसाइकिल होण्डा ड्रीम न्यू 110 रजि0 नं0 UP73J8138

(2 मोटरसाइकिल अपाचे रजि0 नं0 UP70MT4138

(3) 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

(4).चोरी की मोटरसाइकिले बेंच के 1900/- रुपये

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

स्थान- राजापुर से कर्वी रोड की तरफ फायर स्टेशन मोड़, थाना राजापुर, जनपद चित्रकूट, **दिनाँक** 21.08.2024 **समय-** 21:50 बजे

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 21.08.2024 की रात्रि में उ0नि0 श्री इमरान खान अपनी टीम के साथ गस्त पर भ्रमणशील थे कि रात्रि में करीब 21.50 बजे राजापुर से कर्वी को तरफ जान वाली सड़क पर फायर स्टेशन के पास 02 मोटरसाइकिलों पर 02 व्यक्ति दिखायी दिये शक होने पर टीम द्वारा घेरकर पकड़ा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम रंजीत कुमार उर्फ नरबद लोधी पुत्र हीरालाल निवासी टेवा थाना मन्झनपुर जिला कौशाम्बी दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम नसीम पुत्र स्व0 बफाती ढफाली निवासी भरसवा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी बताया अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद मोटरसाइकिल (1) मोटरसाइकिल होण्डा ड्रीम न्यू 110 रजि0 नं0 UP73J8138 व मोटरसाइकिल अपाचे रजि0 नं0 UP70MT4138

तथा 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं 1900/- रुपये बरामद किये गये। परिहन एप पर मोटरसाइकिल नम्बर चेक किया गया तो पाया कि मोटरसाइकिल होण्डा ड्रीम न्यू 110 रजि0 नं0 UP-73 J-8138 मनोज कुमार त्रिपाठी निवासी बडहरी थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी के नाम है जिसके सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त मोटरसाइकिल चोरी के सम्बन्ध में थाना मंझनपुर में मु0अ0सं0 262/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है यह मोटरसाइकिल इन दोनों ने दिनाँक 16.08.2024 को टेवा चौराहा थाना पश्चिम शरीर कौशाम्बी से चोरी की थी। दूसरी मोटरसाइकिल अपाचे रजि0 नं0 UP-70 MT-4138 को चेक करने पर ज्ञात हुआ कि यह एक ट्रक का नम्बर है गाड़ी के चेचिस नम्बर को हथौड़े की मदद से कुचलकर मिटा दिया है। अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया कि काफी समय पहले यह मोटरसाइकिल इनके द्वारा मन्झनपुर चौराहे से सिराधू रोड से चोरी की थी जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इसके सम्बन्ध में थाना मंझनपुर में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। यह भी बताया कि हम दोनों मिलकर मोटरसाइकिल चुराते हैं तथा राहगीरों को गुमराह करके औने-पौने दामों में मोटरसाइकिल बेंच देतें हैं। हम दोनो ने करीब 4 महिना पहले अप्रैल महिने मे राजापुर सरकारी अस्पताल से कम्पाउण्ड के अन्दर से एक मोटरसाइकिल स्पैलण्डर प्लस काले रंग की चोरी किये थे जिसे हमने एक राहगीर को गुमराह करके 7000/- रुपये में बेंच दिया था, जो रुपया हम लोगों के पास से मिला है उसी मोटरसाइकिल के बेंच के रुपया है। सरकारी अस्पताल राजापुर से चुराई गयी मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना राजापुर में मु0अ0सं0 75/24 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत है। मोटरसाइकिल बेंच का रुपया बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 75/2024 में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा कारतूस बरामदगी व नम्बर प्लेट से छोड़छाड़ के आधार पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 179/2024 धारा 35 BNSS व 317(2),318(4),329,336(3),340(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>

1.उ0नि0 श्री इमरान खान थाना राजापुर
2.उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह
3.उ0नि0 श्री कृष्णदेव मिश्र
4.आरक्षी प्रकाश मिश्रा
5.आरक्षी लवकुश यादव

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 22.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को

महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(3). आज दिनाँक 23.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह तथा उ0नि0 श्री रमेश चन्द्र तिवारी द्वारा मु0अ0सं0 177/2024 धारा 85,80,115(2),352 बीएनएस के वांछित अभियुक्त निर्मल सिंह उर्फ रीशू पुत्र अजमेर सिंह निवासी कुसैली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). आज दिनाँक 22.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी सीतापुर पुलिस टीम ने एक चोर को चोरी के माल के साथ किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक **09.**08.2024 को वादी श्री रामकेश पुत्र जुवान निवासी बीएसएनएल टावर के पास चितरागोकुलपुर रोड सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट में सूचना दी थी कि उनके घर के पास से उनके ऑटो रिक्शा से ऑटो रिक्शा की बैटरी, स्टेपनी, क्लिप कटोरा, साउण्ड मशीन चोरी हो गयी है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 510/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा मुकदमें की विवेचना उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य चौकी सीतापुर को सुपुर्द की गयी थी। उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था जिनके पास से ऑटो रिक्शा की बैटरी बरामद की गयी थी। आज दिनाँक 22.08.2024 को विवेचना के क्रम में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त बलवीर पुत्र रामकृपाल निवासी चितरागोकुलपुर सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद ऑटो रिक्शा की स्टेपनी, 01 अदद क्लिप कटोरा, 01 अदद साउण्ड मशीन

बरामद की गयी। अभियुक्त द्वारा पूंछताछ में बताया कि मैने अपने साथी दीपू व बुद्धविलास के साथ इस चोरी की घटना की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

बलवीर पुत्र रामकृपाल निवासी चितरागोकुलपुर सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

(1).01 अदद ऑटो रिक्शा की स्टेपनी

(2).01 अदद क्लिप कटोरा लोहे का

(3).01 अदद साउण्ड मशीन

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य चौकी सीतापुर

2.आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह

3.आरक्षी रविन्द्र कुमार

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में थाना सरधुवा पुलिस ने नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 12.08.2024 को वादी द्वारा थाना सरधुवा में सूचना दी थी कि दिनेश पुत्र शक्ठू निवासी लमियारी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट द्वारा उनके घर में घुसकर उनकी 13 वर्षीय नाबालिक पुत्री का जबरन हाथ पकड़कर घसीटते हुये छेड़छाड़ की तथा उनकी बहु के जागने पर जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गया है। इस सूचना पर थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 129/2024 धारा 74,331(2),351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम दिनेश उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक सरधुवा ने मुकदमें की विवेचना एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय का निर्देशित किया गया था। उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय तथा उनके हमराही द्वारा आज दिनाँक 22.08.2024 को अभियुक्त दिनेश उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरणः-

दिनेश पुत्र शक्ठू निवासी लमियारी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा

2.आरक्षी अतुल मिश्रा

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डी0) श्री सूर्यकान्तधर दुबे द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 1196/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र शम्भू निवासी भरतपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 900/- रुपये के अर्थ से दण्डित किया गया।

(9). प्रेस नोटः-चित्रकूट पुलिस

डॉग स्क्वॉयड, एलआईयू0 की संयुक्त टीम द्वारा जनपद के 06 परीक्षा केन्द्रों पर होने वाली उ0प्र0 प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत सघन चेकिंग की गई

आज दिनाँक 22.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में निरीक्षक एलआईयू श्री सूर्य कांत अरुण राय के मार्गदर्शन में उ0प्र0 प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद के चिन्हित 06 परीक्षा केन्द्रों डॉग स्क्वॉयड व एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में होने वाली पुलिस परीक्षा केंद्र परीक्षा के दृष्टिगत सघन चेकिंग की गई।